



JAIPUR METRO

जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड

खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर- 302015

E-mail: pro@jaipurmetrorail.in

Phone No. 0141-5192407

2017 / 03 / 102—प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक: 09.03.2017

13 मार्च धुलण्डी के दिन भी 134 मेट्रो ट्रेने चलेगी।

जयपुर मेट्रो राष्ट्रीय पर्वों, त्यौहारों एवं उत्सवों के दिनों में भी जनता के प्रति अपना सामाजिक सरोकार पूरी तरह निभाता रहा है। इसी कड़ी में आगामी 13 मार्च धुलण्डी के दिन भी निर्धारित टाईम टेबिल सुबह 6:25 बजे से रात्रि 09:45 बजे तक बिना किसी कटौती के अनवरत 134 मेट्रो ट्रेने संचालित की जायेगी। यद्यपि इस दिन अन्य मेट्रो तथा सार्वजनिक परिवहन के साधन अपनी सेवाओं में कमी करते हैं।

परिचालन एवं प्रणाली निदेशक सी.एस. जीनगर ने बताया कि गत वर्ष भी धुलण्डी के दिन 8000 से अधिक यात्रियों, जिसमें सुबह से दोपहर 3 बजे तक 4000 से अधिक यात्रियों ने मेट्रो यात्रा की थी। जयपुर के नागरिकों से अपील की जाती है कि धुलण्डी के दिन वे अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों के संग मेट्रो में यात्रा का आनन्द लें, लेकिन मेट्रो परिसर, प्लेटफार्मों एवं मेट्रो ट्रेनों में रंग डालने, रंग खेलने एवं हुडदंग करने की पूरी तरह मनाही है। मेट्रो यात्री अपने साथ सुरक्षित रूप से रंग गुलाल ले जा सकेंगे, लेकिन रंग एवं पानी से भरी पिचकारियां एवं बोतलें ले जाने पर रोक रहेगी। इसके अलावा रंग से सने कपड़ों से मेट्रो परिसर एवं ट्रेनों को गंदा करने की भी मनाही है। नशाधीन स्थिति में तो मेट्रो परिसर में प्रवेश ही वर्जित है।

मेट्रो रेलवे (ऑपरेशन एवं मेन्टीनेन्स) एक्ट, 2002 के तहत जहां मेट्रो ट्रेनों एवं इसके परिसरों को गंदा करने पर न्यूनतम 200 रुपये का जुर्माना निहित है, वहीं नशाधीन अवस्था में पाये जाने, तथा कोई भी अशोभनीय व्यवहार एवं कार्य करने पर 500 रुपये के जुर्माने के साथ टिकिट जब्ती एवं ट्रेन से उतारने का भी प्रावधान है। गत 21 माह के मेट्रो संचालन के दौरान मेट्रो परिसरों में थूकने, गंदगी करने एवं अन्य गैर कानूनी कार्य के लिए 2000 यात्रियों को करीब 2 लाख रुपये के जुर्माने से उनके कृत्यों को सीसीटीवी कैमरों से दिखाते हुए दण्डित किया जा चुका है।

जयपुर मेट्रो एवं इसकी पुलिस आगामी 13 मार्च धुलण्डी के दिन मेट्रो परिसरों एवं ट्रेनों में सघन टिकिट चेकिंग के साथ नशाधीन स्थिति में आने वाले यात्रियों की ब्रेथलाईजर उपकरण से जांच भी करेगी।

जनसम्पर्क अधिकारी